RBE NO.105 /2011

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

No.E(D&A) 2011 GS 1-3 New Delhi, dated: 11.7.2011

The General Manager (P),
All Zonal Railways and
Production Units, etc.,
(As Per Standard List).

Sub: Amendment to rule 18 of Railway Services (Conduct) Rules, 1966.

In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby directs that rule 18 of the Railway Services (Conduct) Rules, 1966, contained in Appendix-I of the Indian Railway Establishment Code-Vol.-I Fifth Edition, 1985 (Third Reprint Edition, 2008) may be amended as in the Advance Correction Slip No.118 enclosed.

Please acknowledge receipt.

(Harish Chander)
Dy. Director Establishment (D&A)
Railway Board

DA: ACS No.118

Contd..2/-

INDIAN RAILWAY ESTABLISHMENT CODE – VOL.I (FIFTH EDITION 1985, THIRD REPRINT EDITION, 2008)

Appendix-I - Railway Services (Conduct) Rules, 1966

Advance Correction Slip No. 118

In the Railway Services (Conduct) Rules, 1966, in rule 18:-

1. For sub-rule (3), the following shall be substituted, namely:-

"(3) Where a railway servant enters into a transaction in respect of movable property either in his own name or in the name of a member of his family, he shall, within one month from the date of such transaction, report the same to the Government, if the value of such property exceeds two months' basic pay of the Railway servant:

Provided that the previous sanction of the Government shall be obtained by the Railway servant if any such transaction is with a person having official dealings with him."

2. Below sub-rule (5), for clause (a) of Explanation I, the following shall be substituted, namely:-

"(a) jewellery, insurance policies the annual premium of which exceeds two months' basic pay of the railway servant, shares, securities and debentures;"

(Authority – Railway Board's letter No.E(D&A) 2011 GS1-3 dated 11.7.2011)

आर.बी.ई. सं. 105/2011

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं.ई (डी एंड ए) 2011 जीएस 1-3 नई दिल्ली, दिनांक: 11.7.2011

महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी भारतीय रेलें और
उत्पादन इकाइयां, आदि
(मानक सूची के अनुसार)

विषय: रेल सेवा (आचरण) नियम, 1966 के नियम 18 मे संशोधन ।

भारत के राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देते है कि भारतीय रेल स्थापना संहिता—जिल्द I, पांचवा संस्करण, 1985 (तृतीय पुनर्मुद्रण 2008) के परिशिष्ट – I में अनुबद्ध रेल सेवा (आचरण) नियम, 1966 के नियम 18 को संलग्न अग्रिम शुद्धि पर्ची सं.118 के अनुसार संशोधित किया जाए ।

कृपया पावती दें ।

(हरीश चन्द्र)
उप निदेशक, स्थापना (अनु.एवं अ.)
रेलवे बोर्ड

संलग्न: अग्रिम शुद्धि पर्ची सं.118

सं.ई (डी एंड ए) 2011 जीएस 1-3 नई दिल्ली, दिनांक: 11.7.2011

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. महासचिव, एआईआरएफ, 4 स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित) ।
2. महासचिव, एनएफआईआर,3 चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित) ।
3. विभागीय परिषद एवं राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्य एवं सचिव कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (60 अतिरिक्त प्रतियां) ।

(....2/-)

4. महासचिव, फ्रोआ, कमरा नं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली (6 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
5. महासचिव, इरपोफ, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली (6 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
6. सचिव, आरबीएसएसएस, 'ग्रूप ए ऑफिसर्स एसोसिएशन' कमरा नं. 462, रेल भवन, नई दिल्ली ।
7. महासचिव, एआईआरपीएफए, कमरा नं. 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली ।
8. सचिव, आरबीएसएस, 'ग्रूप बी ऑफिसर्स एसोसिएशन' ।
9. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्रीयल स्टॉफ एसोसिएशन ।
10. सचिव, रेलवे बोर्ड 'ग्रूप-डी कर्मचारी संघ।
11. मैसर्स बाहरी ब्रदर्स, 742, लाजपत राय मार्केट, दिल्ली-110 006, पोस्ट बॉक्स नं.2032
12. सलाहकार, संरक्षा रेलवे बोर्ड नई दिल्ली ।
13. मुख्य रेल संरखा आयुक्त, लखनऊ ।
14. महासचिव, ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे कर्मचारी संघ, कमरा नं.7, भूतल, रेल भवन, नई दिल्ली-110 001 ।
15. महासचिव, रिटायर्ड रेलवे इंप्लाईज़ वेलफेयर एसोसिएशन (रजि.) 490ए/16, गुरूद्वारा रोड, गुडगांव ।
16. प्रबंधक/एचआरडी, रेल भूमि विकास प्राधिकरण, सफदरजंग रेलवे स्टेशन के समीप, मोतीबाग-1, नई दिल्ली-110 021 ।
17. मुख्य यांत्रिक इंजीनियर, इंडियन रेलवे ऑरर्गनाइजेशन फॉर एलटरनेट फ्यूल्स, 12वीं मंजिल, कोर-1, स्कोप मीनार, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110 092 ।
18. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का कार्यालय, भारतीय रेल (वर्कशॉप प्रोजेक्टस), चैम्बर भवन, जज कोर्ट रोड, अन्टा घाट, पटना-880001, बिहार ।
19. सलाहकार (परियोजनाएं), कमरा नं.548, रेल मंत्रालय, रेल भवन, नई दिल्ली-110 001
20. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, रेल कोच फैक्टरी/रायबरेली परियोजना, किशनगंज, दिल्ली-110 007 ।

कृते सचिव, रेलवे बोर्ड

भारतीय रेल स्थापना संहिता - जिल्द I, (पांचवा संस्करण, 1985 तृतीय पुनर्मुद्रित संस्करण, 2008)

परिशिष्ट - I - रेल सेवा (आचरण) नियम, 1966

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 118

रेल सेवा (आचरण) नियम, 1966 में, नियम 18 में:-

1. उपनियम (3) के लिये, निम्नलिखित प्रतिस्थापित होगा, अर्थात:-

"(3) जहां कोई रेल सेवक किस चल सम्पत्ति के संबंध में अपने नाम से या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम से कोई संव्यवहार करता है वहां वह संव्यवहार की तारीख से एक मास के भीतर उसकी रिपोर्ट सरकार को देगा, यदि ऐसी सम्पति का मूल्य रेल सेवक के दो मास के मूल वेतन से अधिक है:-

बशर्ते है कि रेल सेवक द्वारा सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त की जायेगी यदि ऐसा लेन-देन उस व्यक्ति के साथ है जिसके साथ उसका शासकीय व्यवहार है ।"

2. उपनियम (5) के नीचे, स्पष्टीकरण I के खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित होगा, अर्थात:-

"(क) आभूषण, ऐसी बीमा पॉलिसियां जिनका वार्षिक प्रीमियम रेल सेवक के दो मास के मूल वेतन से अधिक हो, शेयर, प्रतिभूतियां और डिबेन्चर;"

(प्राधिकार : रेलवे बोर्ड का दिनांक 11.7.2011 का पत्र, सं. ई (डी एंड ए) 2011 जी. एस. 1-3)